राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) योजनान्तर्गत देय पेंशन संबंधी दिशा–निर्देश, 2021

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित 2015 के नियम 1995 यथा संशोधित 2016 के नियम 12(4) उपाबंध–1 के बिन्दु संख्या 46 अनुसूची –1 के उपबिन्दु संख्या 3 के अनुसार देय पेंशन को ऑनलाइन किये जाने हेतु नवीन दिशानिर्देश, 2021 लागू किए जाते हैः–

1. अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य द्वारा अत्याचार करने पर (अत्याचार निवारण) अधिनियम अन्तर्गत दर्ज प्रकरण में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दर्ज होना चाहिए।
2. अधिनियम अन्तर्गत दर्ज प्रकरण में नियम 12(4) के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 46 अनुसूची –1 के उपबिन्दु संख्या 3 के अनुसार शव परीक्षण के पश्चात् प्रथम स्तर की राशि 50 प्रतिशत राहत की राशि स्वीकृति जारी होनी चाहिए।
3. अनुसूचित जाति और जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले मृतक की विधवा हो को आजीवन एफ.आई.आर के समय स्वीकृति की दर से पेंशन स्वीकृत की जावेगी।
4. एफ.आई.आर दर्ज होने की दिनांक माह की 20 तारीख तक होती है तो उसी माह में स्वीकृति जारी की जावेगी और एफ.आई.आर दर्ज होने की दिनांक माह की 20 तारीख के बाद होती है तो अगले माह से स्वीकृति जारी की जावेगी।
5. विधवा को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या अन्य कोई समानान्तर पेंशन देय नहीं होगी। यदि ले रही है तो दोनों में से एक विकल्प चुनना होगा।
6. विधवा की आय/स्वंय का आय समस्त स्रोतों से 2.50 लाख रू. वार्षिक से अधिक न हो।
7. मृतक की आयु 60 वर्ष से अधिक होने पर उनके पुत्र/पुत्रियों को अत्याचार निवारण पेंशन के योग्य नहीं माने जावेगें।
8. माननीय न्यायालय द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में चालान स्तर पर धारा बदलकर हत्या की धारा हटाये जाने पर चालान स्तर एवं विचारण समाप्ति पर अधिनियम अन्तर्गत दोषमुक्त कर दिया जाता है तो पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होगें।
9. अत्याचार निवारण पेंशन मृतक की विधवा को आजीवन मिलती रहेगी। यदि मृतक की पत्नि पीडित नहीं है तो आश्रित पुत्र/पुत्री को 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने देय अथवा रोजगार करने पर जो भी पहले हो तक पेंशन देय होगी अन्य किसी को देय नहीं होगी।
10. एक बार अत्याचार निवारण पेंशन प्रारम्भ होने के बाद अन्य सदस्य को स्थानान्तरित नही होगी।
11. पेंशन स्वीकृति के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ही अधिकृत होंगे।
12. प्रकरणों को SJMS पोर्टल से हत्या के प्रकरणों में जिनमें प्रथम स्तर की राहत राशि का भुगतान किया जा चुका है के उपरान्त जिलाधिकारी स्तर से सीधे ही पेंशन पोर्टल पर स्वतः ही अपलोड होगे तथा आवश्यक दस्तावेज जिलाधिकारी द्वारा अपलोड किये जाने चाहिए तथा ऑनलाइन स्वीकृति हेतु संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

13. मृतक की विधवा के अतिरिक्त यदि आश्रितों (पुत्र/अविवाहित पुत्री) को पेंशन स्वीकृत की जाती है तो प्रत्येक को समान अनुपात में देय होगी।
14. यदि कोई कूटरचित दस्तावेज, तथ्य छुपाकर गलत तरीके से पेंशन प्राप्त कर लेता है। उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।
15. प्रतिवर्ष दिसम्बर माह में वेरिफिकेशन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
16. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की दिनांक से पेंशन देय मानी जावेगी परन्तु पेंशन स्वीकृति आदेश प्रथम स्तर की राहत राशि भुगतान उपरांत ही पेंशन स्वीकृत की जा सकेगी।

आवश्यक दस्तावेज

1. मूल निवास प्रमाण पत्र (राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए)
2. अनुसूचित जाति/जनजाति का जाति प्रमाणपत्र
3. मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट की पुष्टि
4. पति/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
5. आश्रितों का आय प्रमाणपत्र
6. जनआधार कार्ड की प्रति
7. पेंशनधारक का बैंक खाता संख्या
8. पेंशनधारक की फोटो
9. मृतक की विधवा के अतिरिक्त यदि अन्य आश्रित हो तो जन्म दिनांक पुष्टि हेतु शैक्षणिक प्रमाण पत्र/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र
10. उक्त डाटा जनआधार से प्राप्त होने की दशा में पृथक् से दस्तावेज अपलोड किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

यह दिशा–निर्देश सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी होंगें।

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांक F.11(71)AP/ SJED/2021-22/ 5732-5838 जयपुर, दिनांक 10 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संयुक्त सचिव (SCD-B), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली–110 001
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिव, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–।।) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
6. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ...
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. संयुक्त निदेशक (योजना),मुख्यावास।
9. समस्त प्रभारी अधिकारी मुख्यावास .....।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने बाबत्।
11. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को योजना के प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित किये जाने बाबत्।
12. जिला कोषाधिकारी,.....
13. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
14. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
15. लेखाकार, ऑडिट/अंकमिलान/बजट, मुख्यावास।
16. गार्ड फाईल।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner